



• बीआरकेजीबी प्रीमियम सुलभ ऋण योजना

पात्रता	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी उपक्रम/अर्द्धशहरी, शहरी निगमों/निकायों के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। 1. प्रोबेशन अवधि समाप्ति पश्चात् न्यूनतम 1 वर्ष की स्थायी सेवा। 2. आवेदक बैंक के कार्य क्षेत्र का स्थाई निवासी होना चाहिए अथवा बैंक के कार्य क्षेत्र में स्थायी रूप से सेवारत होना चाहिए। 3. आवेदक का वेतन बैंक में जमा होना। 4. आवेदक द्वारा ऐसी ही योजनान्तर्गत किसी अन्य बैंक से ऋण नहीं लिया होना चाहिए।
बैंक से सम्बन्ध	बैंक के माध्यम से कम से कम विगत 6 माह से वेतन प्राप्त कर रहा हो एवं अन्य बैंक से वेतन खाता स्थानान्तरित होने की दशा में उस बैंक से विगत 6 माह का खाता विवरण प्राप्त कर वेतन एवं कटौती के सम्बन्ध में संतुष्टि जाये।
आयु	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आवेदक की वर्तमान आयु एवं पुनर्भुगतान अवधि दोनों मिलाकर सेवानिवृत्ति तिथि से अधिक नहीं हो।
न्यूनतम शुद्ध मासिक आय	₹ 10,000/-
ऋण सीमा	शुद्ध मासिक वेतन का 24 गुना अधिकतम – ₹ 15.00 लाख (योजनान्तर्गत ₹ 2.00 लाख से कम राशि के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जाये)
ब्याजदर	समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार परिवर्तनीय।
पुनर्भुगतान अवधि	अधिकतम 84 समान मासिक किश्तों में (EMI)
पुनर्भुगतान क्षमता	वर्तमान कुल कटौतियां + प्रस्तावित ऋण की किश्तों का योग सकल मासिक वेतन के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। कटौतियों में आयकर, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, वर्तमान में चल रहे ऋणों की किश्तें इत्यादि को शामिल किया जाये।
प्रतिभूति	1. दो सक्षम व्यक्तियों की जमानत (जिसमें से एक जमानतदार स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है) 2. वेतन भुगतान सम्बन्धित खाते के 10 उत्तरदिनांकित चैक
अन्य	प्रोसेसिंग प्रभार बैंक नियमानुसार (अपने बैंक से आवास ऋण प्राप्त ऋणी तथा एक ही विभाग के 5 कर्मचारियों द्वारा एक साथ समूह में बीआरकेजीबी प्रीमियम सुलभ ऋण योजनान्तर्गत ऋण लेने की दशा में प्रोसेसिंग प्रभार में सम्पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी)